



Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Shiv Singhpura Housing Board Colony, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone- 01572-248009, Email- rorpcb.sikar@gmail.com

No. RPCB/RO Sikar/ Gen-253/171

Date: 4/5/2024

To,
The Registrar General
National Green Tribunal (Central Zone Bench)
Bhopal

Sub: Progress of the Joint Committee Report in the matter of Original Application No. 59/2024(CZ), Amit Kumar & Anr. Vs State of Rajasthan & Ors.

Ref: Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL order dated 15/03/2024

Sir,

With reference to above, It is submitted that Hon'ble NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL by order dated 15/03/2024 has directed inter-alia as follows:-

7. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*
 - (i) *One Representative from the Collector Sikar (Rajasthan)*
 - (ii) *One Representative from the Department of Water Resource, River Development Rajasthan*
 - (iii) *One Representative from Ground Water Department, Government of Rajasthan (Rajasthan)*
 - (iv) *One Representative from the Central Pollution Control Board.*
 - (v) *One Representative from the Rajasthan State Pollution Control Board.*
8. *The Committee is directed to submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support*

In compliance to the Hon'ble NGT order the District Collector vide order date 04/04/2024 has appointed ADM(Administration), Sikar, Rajasthan State Pollution Control Board vide order dated 11/03/2024 has appointed Regional officer Sikar, Central pollution Control Board vide order dated 22/03/2024 has appointed Scientist- B, CPCB, Bhopal, Ground water Department vide order dated 05/04/2024 has appointed Senior Hydrogeologist, Sikar, Water Resource Department vide order dated 23/04/2024 has appointed Executive. Engineer, WRD Sikar

It is also submitted that the officials of Departments are engaged in the Lok Shabha Election was scheduled on 19th and 26th April 2024 in Rajasthan.

The Joint committee conducted a meeting on dated 25/04/2024 and visited the Katli River area of Tehsil- Khandela, District Sikar, Tehsil- Udaipurwati, Neem Ka Thana, Khetri, District- Neem Ka Thana, Tehsil- Gudha Gorji, Chirawa, Jhunjhunu, District Jhunjhunu, Tehsil- Rajgarh District Churu on dated 02/05/2024 and 03/05/2024 with the officials of Mining Department and representatives of Revenue departments of four Districts. The Committee has asked Water resource department, Ground Water department to provide



Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Shiv Singhpura Housing Board Colony, Nawalgarh Road, Sikar-332001

Phone- 01572-248009, Email- rorpcb.sikar@gmail.com

relevant information in this case. The Committee has also asked Tehsildars, District Sikar, Neem Ka Thana, Jhunjhunu, Churu to provide information of Katli river and nearby area according to the revenue record, mining department to provide information of sand mining/action taken against illegal sand mining. (Copy of minutes and meeting, letters collectively enclosed at Annexure-1)

Looking to above, it is humbly requested to grant additional one month time for data collection from relevant department of all district, compilation of data, preparation and submission of report before Hon'ble NGT.

Enclosed: - As above

Yours Sincerely

(Pradeep Kumar Asnani)
Regional officer



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
 Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
 Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



क्रमांक:राप्रनिम/क्षे0का0/सीकर/सामा-253/७२-४७ दिनांक 22.04.2023

- 1 श्री एम के गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, भू-जल विभाग, जयपुर।
- 2 श्री डी के अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता, जल संघाधन विभाग, जयपुर।
- 3 श्रीमान प्रवीण जैन, वैज्ञानिक ख, क्षेत्रीय निदेशालय(मध्य)सी.पी.सी.बी., भोपाल
- 4 श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0म0, झुंझुनू
- 5 श्रीमान खनि अभियंता, सीकर, झुंझुनू
- 6 श्रीमान सहायक खनि अभियंता, चुरु, नीमकाथाना

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सैन्ट्रल जॉन भोपाल में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ एण्ड अदर्स के संबंध में।

संदर्भ:-माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 15.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में दिनांक 15.03.2024 को आदेश पारित किया है। प्रकरण में काटली नदी जो कि जिला सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनू एवं चुरु से प्रवाहित होती है में हो रहे अवैध खनन एवं अतिक्रमण के संबंध में है। जिस हेतु दिनांक 25.04.2024 समय 11:00 को कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) सीकर में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

अतः आप माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 एवं ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) (प्रति संलग्न) के संबंध में आपके विभाग से सम्बन्धित विन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का श्रम का करे।

भवदीय

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


 (प्रदीप कुमार आसनानी)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निजी सहायक, श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), सीकर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।


 क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में दिनांक 25.04.2024 समय 11:00 को कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) सीकर में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) सीकर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संयुक्त समिति सदस्य एवं खनन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। (उपस्थित अधिकारीगण की सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न)

बैठक के प्रारम्भ में क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, सीकर द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश से अवगत करवाया। बैठक में चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

1. काटली नदी का उदगम, समाप्ति, बहाव क्षेत्र, काटली नदी पर बने डेम एनीकेट्स के निर्माण, नदी का बहाव इत्यादि की सूचना जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।
2. काटली नदी के बहाव क्षेत्र में आबादियों एवं बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये।
3. काटली नदी के बहाव क्षेत्र आवंटित खनन लीज एवं खनन का क्षेत्रफल, वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता, अवैध खनन की स्थिति, अवैध खनन पर की गई कार्यवाही इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना खनन विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।
4. काटली नदी के बहाव क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र में भू-जल की स्थिति के लिए भू-जल विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

Dr
25-4-24
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
सीकर।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 की अनुपालना में गठित कमेटी की बैठक में उपस्थित अधिकारी गण

दिनांक 25.04.2024 समय 11:00

स्थान :-कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) सीकर .

क्र०स०	नाम व पद	विभाग	मोबाईल न०	हस्ताक्षर
1.	Sh. Ranjeet Gudara	ADM (adm) Sikar	9414382316	
2.	PRAVEEN KUMAR JAIN	Scientist-B, CPCB, Bhopal	7746826294	
3	Poolesh Kr Asmi	RO, RCB, Sikar	9799499864	
4	Nathmal Kish	Xen, Wild, Sikar	9414285302	
5.	Dinesh Kumar	Sr. Hydrogeologist Sikar GWD	9829175305	
6.	Ashok Kumar	AME, Neem Ka Thana (mines)	9460763832	
7.	D. Bhambhoo	ME (Sikar), Mines	98081 98081	
8.	Chhagan Lal	ME (JSM), Mines	9460109930	
9.	P.K. Bahada	AME (Sikar), Mines	9413941973	
10.	N.L. Meghwal	AME (JSM), Mines	8078610542	
11.	Deepak Dhanraj	RO, RCB, JSM	9785291723	



Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board

Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com



क्रमांक: राप्रनिम/क्षे.का.सीकर/सामान्य-253/107-117 दिनांक: 25/04/2024

1. तहसीलदार, नीमकाथाना/उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
2. तहसीलदार, गुढा गौड़जी/चिड़ावा/झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
3. तहसीलदार, राजगढ़, जिला चुरू।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।

संदर्भ :- संयुक्त बैठक दिनांक 25.04.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में दिनांक 25.04.2024 को संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 02 एवं 03 मई, 2024 को काटली नदी का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अतः आप काटली नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम, पंचायत, तहसील गांव की काटली नदी से दूरी, नदी के ताल में अतिक्रमण तथा अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना संलग्न प्रारूप में संकलन कर इस कार्यालय को 03 दिवस में भिजवाने तथा निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने का श्रम करें।

भवदीय

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम,
एवं नोडल अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, नीमकाथाना, झुंझुनूं एवं चुरू से विन्नम अनुरोध है कि सम्बन्धित तहसीलदारों को उपरोक्त पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय को भिजवाने एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अनुपालना में गठित संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 02 एवं 03 मई 2024 को मौके पर उपस्थित रहने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
2. श्री अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), सीकर को सादर सूचनार्थ को प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि जिला झुंझुनूं एवं चुरू के तहसीलदारों से समन्वय स्थापित कर चाही गई सूचना भिजवाने की कार्यवाही करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर सीकर


क्रमांक.विधि/2024/385

दिनांक : 25-04-2024

तहसीलदार,
खण्डेला, जिला सीकर।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में।
संदर्भ :- संयुक्त बैठक दिनांक 25.04.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड) अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के संबंध में दिनांक 25.04.2024 को संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 2 व 3 मई 2024 को काटली नदी का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के समय काटली नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम, पंचायत, तहसील गांव की काटली नदी से दूरी, नदी के ताल में अतिक्रमण तथा अतिक्रमण पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में संकलन कर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार


25-4-24
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रशासन) सीकर

मौका रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रकरण ऑरिजनल एप्लीकेशन 59/2024(सीजेड)
अमित कुमार एण्ड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स के संबंध में पारित आदेश
दिनांक 15.03.2024 की अनुपालना में गठित संयुक्त समिति के द्वारा दिनांक 22.03.2024
को काटली नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित ग्राम (जिला का नाम)

तहसील जिला सीकर, भीम का थाना, चूरु, राजस्थान
राजस्थान का निरीक्षण किया गया। जिसमें राजस्व विभागों के प्रतिनिधि, खनन
विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। निरीक्षण में चारों जिलों में स्थित नदियों
के तटस्थानों से सूचना चाही गई साथ ही नदी पर बैध/अबैध
खनन के सम्बंध में चारों जिलों से सम्बंधित खनन अभियानों से भी
सूचना चाही गई है।

सूचना की प्राप्ति, संकलन स्वयं अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार करने
के लिये भावनीय NDA से एक माह का अतिरिक्त समय लिया
जाया उचित रहेगा।

नाम
(नाम दर्ज)
मं. अं. पं. सं. की
सोफ

प्रति
Pradeep Kr Sharma
RO, RSPCB, Sikar

दिनांक 22/03/24
प्रभारी प्रमुख निरीक्षण
राज्य विभाग सीकर